तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	23/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। वकील प्रार्थीगण बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट दिनांक 05/07/2024 के अनुसार भूमि मुताबिक रकबा 1.25 हैक्टे. में से 0.60 हैक्टे. भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन, TDR बांदीकुई की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 23/12/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 97/2024
प्रकरण दायर दिनांक 04.07.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 23.12.2024

उनवान

1. अनिल कुमार पुत्र जम्बूरीलाल
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र जम्बूरीलाल
3. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र जम्बूरीलाल
4. बाबूलाल पुत्र गेन्दाराम
5. मन्जू पुत्री जम्बूरीलाल
6. रेखा पुत्री जम्बूरीलाल
7. रामअवतार पुत्र गेन्दाराम

जाति समस्त मीना निवासी ग्राम मैडी का बास पो. मूण्डधिस्या तह. बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बांदीकुई

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.लैण्ड रेवन्यु एक्ट"

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की भूमि काश्त आराजियात खाता संख्या नया 49 पुराना 39 के खसरा नम्बर 703/132 रकबा 1.2500 हैक्टे0 बंजड लगानी 2/– रूपये 50 पैसे वाके ग्राम मूण्डघिस्या तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। दिनांक 22.07.2022 को उक्त भूमि की सीमाज्ञान हो चुकी है। प्रार्थीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है जो कि कानून में आस्था रखने वाले है भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो इसलिये उक्त भूमि की पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। भूमि मुतदाविया न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में है एवं प्रार्थना पत्र अंदर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र सेवा में पेश कर अर्ज है कि आराजी खसरा नं. 703/132 रकबा 1.25 हैक्टेयर वाके रामा मूण्डघिस्या पटवार हल्का मूण्डघिस्या भू. अभिलेख क्षेत्र बडियाल कलां के पत्थरगढी के आदेश तहसीलदार बांदीकुई को प्रदान करें।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस की गयी। प्रकरण में तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र क्रमांक 6058 दिनांक 05.09.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बांदीकुई ने अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि मुताबिक रकबा 1.25 हैक्टेयर में से 0.60 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थीगण/वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर कब्जा प्राप्त करने के पश्चात ही पत्थरगढी की कार्यवाही की जानी संभव है। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के संलग्न पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

हल्का मूण्डघिस्या एव भू.अ.नि. बडियाल कलां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मूण्डघिस्या के आराजी खसरा नं. 703/132 रकबा 1.25 हैक्टेयर किस्म भूमि बंजड मुताबिक जमाबंदी अनिल कुमार, जितेन्द्र कुमार , धर्मेन्द्र कुमार पुत्रान जम्बूरीलाल, मंजू, रेखा पुत्रियान जम्बूरीलाल हिस्सा 1/15 बाबूलाल पुत्र गेन्दाराम हि. 1/3 बिना रहन, रामवतार पुत्र गेन्दाराम हिस्सा 1/3 जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा बांदीकुई दर्ज रिकॉर्ड हे उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 22.07.2022 को हो चुका है। मौके पर उक्त खसरा नंबर कुछ उबड–खाबड व कुछ भूमि समतल है मौके पर प्रार्थीगण/वादीगण का लगभग 50–60 एयर भूमि पर कब्जा नहीं है जिस पर दीगर व्यक्तियों द्वारा कब्जा काश्त किया हुआ है।प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थी प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत् 2075–78 ग्राम मूण्डघिस्या खाता संख्या नया 49 पुराना 39, मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम मूण्डघिस्या दिनांक 22.07.2022 एवं तहसीलदार बॉदीकुई की रिपोर्ट दिनांकः 05.09.2024 का अवलोकन किया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता संख्या नया 49 पुराना 39 ग्राम मूण्डघिस्या के प्रार्थीगण अनिल कुमार, जितेन्द्र कुमार , धर्मेन्द्र कुमार पुत्रान जम्बूरीलाल, मंजू, रेखा पुत्रियान जम्बूरीलाल हिस्सा 1/15 बाबूलाल पुत्र गेन्दाराम हि. 1/3 बिना रहन, रामवतार पुत्र गेन्दाराम हिस्सा 1/3 जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा बांदीकुई दर्ज रिकॉर्ड है। मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम मूण्डघिस्या दिनांक 22.07.2022 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। परंतु तहसीलदार बांदीकुई ने अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि मुताबिक रकबा 1.25 हैक्टेयर में से 0.60 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थीगण/वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। अन्य दीगर व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि पर पत्थरगढी हेतु प्रार्थीगण का नियमानुसार कब्जाकाश्त होना आवश्यक है। अतः उक्त विवादग्रस्त भूमि पर अन्य दीगर व्यक्तियों का कब्जा काश्त होने से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट के अवलोकन के आधार वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं. 703/132 रकबा 1.2500 हैक्टे0 के सम्पूर्ण रकबे पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त नहीं होने से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस. 23/12/24
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner